# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 132/2017 राजस्व अपील

1. रामेश्वर
2. लल्लू
3. कैलाश
4. सरदार

पुत्रान बिरदा जाति गुर्जर निवासी झूंपडीन तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा
2. नायब तहसीलदार बडियाल कलॉ उप तहसील बडियाल कलॉ तहसील बसवा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार बडियाल कलॉ जिला दौसा प्र. सं. 62/2017 उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर वगैरा अ. धा. 91 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थिति : श्री अम्मरसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :–

दिनांक: 28.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम झूंपडीन तहसील बसवा में स्थिति भूमि ख.न. 650 रकबा 0.04 है0 ख.न. 657 रकबा 0.04 है0, ख.न. 658 रकबा 0.03 है0, ख.न. 663 रकबा 0.02 है0, ख.न. 664 रकबा 0.17 है0, ख.न. 665 रकबा 0.06 है0, ख.न. 1325/666 रकबा 0.06 है0 गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत 2074 में बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने की सजा से दिनांक 06.10.2017 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 06.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अपीलांट्स द्वारा दिनांक 19.9.2017 को अधीनस्थ न्यायालय मं उपस्थित होकर नोटिस का जवाब व आपत्ति पेश की गई थी कि उक्त भूमि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है जिसमें से बिना अपीलांट्स को सूचना व सुनवाई के गलत तरीके से उक्त खसरा नम्बर पी.डब्लू.डी. में अंकन कर दिया है। जबकि मौके पर कोई रास्ता न तो है और न ही कभी रहा है। खसरा नम्बर 653 रकबा 0.78 है0 के नवीन खसरा नम्बर 1377/653 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 1379/660 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 1381/661 रकबा 0.55 है0 तरमीम कर बना दिये तथा अपीलांट्स की खसरा नम्बर 653 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 660 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 661 रकबा 0.03 है0 भूमि कर दी है तथा उक्त 0.11 है0 भूमि के नये नम्बर 1378/653 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1380/660 रकबा 0.02है0, ख0नं0 1382/661 रकबा 0.03 है0 भूमि अवैधानिक तरीके से पी.डब्लू.डी. के नाम तरमीम कर गैर मुमकिन सड़क में दर्ज कर दिया। उक्त भूमि अपीलांट्स व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। खसरा नम्बर 664, 665, 666 को भी गलत तरीके से पगडण्डी दर्शा रखी है जो गलत है क्योकि ख.न. 664 रकबा 0.17 है0, ख.न. 665 रकबा 0.06 है0, ख.न. 666 रकबा 0.07 है0 साबिक ख.न. 682 से बने है। जो एकीकरण में पूर्व साबिक नम्बर 1521/1, 1521/2, 1520/1 से बने है। एकीकरण से पूर्व नक्शे शीट मे अपीलान्ट्स व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में स्पष्ट दर्शित हैं। हाल ख.न. 664 लगा0 666 अपीलान्ट्स व अन्य सहखातेदारान की भूमि रही है। जो गलत तरीके से रास्ते में दर्शित कर दी। जिसकी दुरस्ती के लिए वाद सं. 179/2017 उनवानी रामेश्वर वगैरा बनाम राजस्थान सरकार, न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन है। न्यायालय में वाद विचाराधीन होने पर उसी विषय वस्तु पर धारा 91 की कार्यवाही नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत निर्णय निरस्त योग्य है। धारा 91 की कार्यवाही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर की जाती है। किन्तु उक्त प्रकरण में ख.न. 650, 657, 658, 663 लगायत 665 पर जो अतिक्रमण माना है वह कतई गलत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बडियाल कलां के निर्णय दिनांक 06.10.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड फरमाया जावे कि न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णय तक प्रकरण को स्थगित रखा जावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम झूँपडीन तहसील बसवा स्थित भूमि ख.न. 650 रकबा 0.04 है0 ख.न. 657 रकबा 0.04 है0, ख.न. 658 रकबा 0.03 है0, ख.न. 663 रकबा 0.02 है0, ख.न. 664 रकबा 0.17 है0, ख.न. 665 रकबा 0.06 है0, ख.न. 1325/666 रकबा 0.06 है0 गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत 2074 में बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियमम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 06.10.2017 के द्वारा अपीलान्ट्स अतिकमियों को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम के आदेश पारित किये गये।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में वाद विचाराधीन होने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बडियाल कलां द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.10.2017 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उप तहसीलदार बडियाल कलां को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बडियाल कलां का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार बडियाल कलां को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन वाद के सम्बन्ध में जानकारी कर एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके का निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा